न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10 / 2024

अपीलांट्स –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. हरचन्द पुत्र वगताराम 2. गोरधनराम पुत्र भीयाराम 3. धनी बेवा भीयाराम 4. मुकनाराम पुत्र लुम्बाराम जाति विश्नोई निवासी विरमाणियों की ढाणी, चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार धोरीमन्ना 2. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 190 दिनांक 04.12.2001 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पों संख्या 01 व 2 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 28.05.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 190 दिनांक 04.12.2001 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा वीरमाणियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 81, 76, 85, 110, 164, 84 कुल रकबा 200–14 बीघा भूमि खातेदारान हरचंद वल्द वगता माडू बेवा वगता, मगला काना भीया हरींगा हरलाल मुकना ठाकरा पि0 लूम्बा जाति विश्नोई साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 04.12.2001 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस [illegible] का पटवारी चैनपुरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुडा[illegible] द्वारा [illegible] अधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 190 दिनांक 04.12.2001 जारी किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.0[illegible]4 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी का खेत ग्राम विरमाणियों की ढाणी चैनपुरा में खसरा नंबर 81, 76, 85, 110, 164, 84 का आया हुआ है, जो वक्त सेटलमेंट लुम्भा के नाम दर्ज थी। लुम्बा के 8 पुत्र होने से उपरोक्त सभी खसरों की कुल आराजी 200–14 बीघा भूमि का अपासी सहमति से बंटवाडा करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में चैनपुरा में स्थित शिविर में बंटवाडे का आवेदन किया तथा हल्का पटवारी ने नजरिये नक्शा बनाकर उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। जिसमें लुम्बा के तीन पुत्र वगता, भीया व मुकना को खेत खसरा नंबर 76 में 20–03 बीघा भूमि बराबर दी गई तथा खेत खसरा नंबर 110 में 3–05 बीघा भूमि तीनो को दी गई। शेष 5 भाईयों का अन्य खसरें दिये गये तथा उनको खसरा नंबर 76 में कब्जा नहीं होने पर उसके बदले अन्य खसरो में भूमि दे दी गई। इस पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार दिनांक 04.12.2001 को आदेश पारित किया गया तथा आदेश की पालना में विभाजन में बनाये नजरिये नक्शा अनुसार बटवाड़ा कर वगता को खसरा संख्या 76 में नवसृजित खसरा संख्या 76 रकबा 20–03 बीघा भूमि आयी वगता के फोत होने पर उक्त आराजी हरचन्द एवं भीयां के फौत होने पर गोरधन व धनी एवं मुकना के नाम दर्ज हुई। इस बंटवाडे में खसरा नंबर 76 को अलग–अलग खातेदारों में बांटने के बाद ऑनलाईन जमाबंदी व नक्शा बना दिया गया तथा रेकर्ड अनुसार हल्का पटवारी द्वारा नाप करवाया तब ज्ञात हुआ कि आपके बंटवाडे के समय आपके घर वाला हिस्सा अन्य खातेदारो के नाम से दर्ज हो गया है तथा रेकर्ड मे भारी भिन्नता है। उक्त तरमीम कब्जे के विपरीत होने से विभाजन आदेश में खसरा नंबर 76 को आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया अपीलाधीन आदेश में खसरा नंबर 76 में विभाजन प्रस्ताव गलत बनने की जानकारी अनपढ़ काश्ताकारों को नहीं पाई। तकरीबन 1 माह पूर्व हलक पटवारी को ले जाकर नाप करवाय तब ज्ञात हुआ कि आपके बंटवाडे के समय आपके घर वाला हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हो गया है। अपीलांट ने दिनांक 25.01.2024 को उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा सम्यक त[illegible] यह अपील पेश की गई है, तदुपरान्त भी सद्भाविक [illegible] करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्र[illegible] है। लिहाजा अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश [illegible] फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा वीरमाणियों

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की ढाणी में खेत खसरा संख्या 81, 76, 85, 110, 164, 84 कुल रकबा 200–14 बीघा भूमि खातेदारान हरचंद वल्द वगता माडू बेवा वगता, मगला काना भीया हरींगा हरलाल मुकना ठाकरा पि0 लूम्बा जाति विश्नोई साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 04.12.2001 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी चैनपुरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 190 दिनांक 04.12.2001 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.02.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट के खेत खसरा 76 में तीनो भाईयों के कब्जा अनुसार हलका पटवारी को विभाजन प्रस्ताव में नक्शा कायम करना था परन्तु कब्जे के विपरीत नक्शा कायम करने से अपीलांट के घर एक दूसरे के खेतो मे चले गये तथा मौके पर चल रहे रास्ते को सहमति से समर्पण करवाने में भी भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। उक्त तरमीम कब्जे के विपरीत होने से विभाजन आदेश में खसरा नंबर 76 को आंशिक संशोधन किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप खसरा नंबर 76 में अपीलांट्स के कब्जे की भूमि में भिन्नता है लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 190 दिनांक 04.12.2001 आंशिक अपास्त किया जाकर ख.नं. 76 का विभाजन निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए खसरा नंबर 76 के पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर